

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया तहसील फुलियाकलां
पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना R.A.S
प्रकरण संख्या 18/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र

- अनवान
- 1 कालू पिता भैरू कुमावत उम्र-वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 2 पांचु पिता भैरू कुमावत उम्र-वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- प्रार्थीगण

- बनाम
- 1 गोपाल पिता कजोड रेगर उम्र-वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 2 उगमा पिता प्रताप कुमावत उम्र-वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 3 मु.बदाम पत्नि रामदेव खटीक उम्र-वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 4 मु.केशर पत्नि सत्यनारायण खटीक उम्र-वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 5 रामदेव पिता सुवा खटीक उम्र-वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 6 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- अप्रार्थीगण


प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित श्री विजय पाराशर —अधिवक्ता प्रार्थीगण
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
अनुपस्थित- अप्रार्थीगण समस्त

निर्णय

दिनांक 26.10.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 01.02.2019 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 94 के आराजी संख्या 3265 प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण शुरुआत में अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रुकावट


सहायक कमिश्नर व
उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भीलवा.)

उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की आराजी संख्या 2413, 2414 की मेड के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।


अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु विपक्षीगण की खातेदारी/सहखातेदारी आराजी संख्या 2413, 2414 की मेड के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 01.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया दिनांक 26.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से विरुद्ध विपक्षीगण संख्या 01 से 05 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। शिविर में उपस्थित प्रार्थीगण पक्ष ने अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में भू.अ.निरीक्षक धनोप द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें रास्ता कायमी हेतु ग्राम सांगरिया प.ह.क्षेत्र सांगरिया स्थित आराजी संख्या 2413 रकबा 0.38 में से 0.0176 हैक्ट. (176 वर्गमीटर) (44 मीटर गुणा 4 मीटर), आराजी संख्या 2414 रकबा 0.22 में से 0.0224 हैक्ट. (224 वर्गमीटर) (56 मीटर गुणा 4 मीटर) सुगमतम एवं निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थी 01 से 05 को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। भू.अ.निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को विपक्षीगण की खातेदारी/सहखातेदारी आराजी संख्या 2413, 2414 में से 0.0400 हैक्ट. (400 वर्गमीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजीयात में से रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पड़ोसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नहीं उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणो ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे—


सहायक कलक्टर
रूप खण्ड अधिकारी
फुलिया कला (मोल)

—न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगण को कोई भारी क्षति होगी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु भू.अ. निरीक्षक धनोप द्वारा ग्राम सांगरिया प.ह.क्षेत्र सांगरिया स्थित आराजी संख्या 2413 रकबा 0.38 में से 0.0176 हैक्ट. (176 वर्गमीटर) (44 मीटर गुणा 4 मीटर), आराजी संख्या 2414 रकबा 0.22 में से 0.0224 हैक्ट. (224 वर्गमीटर) (56 मीटर गुणा 4 मीटर) निकटतम एवं सुविधाजनक प्रस्तावित नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम सांगरिया प.ह.क्षेत्र सांगरिया स्थित आराजी संख्या 2413 रकबा 0.38 में से 0.0176 हैक्ट. (176 वर्गमीटर) (44 मीटर गुणा 4 मीटर), आराजी संख्या 2414 रकबा 0.22 में से 0.0224 हैक्ट. (224 वर्गमीटर) (56 मीटर गुणा 4 मीटर) कुल रकबा 0.0400 हैक्टे. (400 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल-दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 (आराजी संख्या 2413, 2414 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0400 हैक्टेयर मालियत राशि की तिगुनी राशि 75,645/- रुपये (0.0400 हैक्टेयर की) राज्य कोष/अप्रार्थी संख्या 01 से 05 को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैंसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
रूपेण डी.एल.सी.
जिला भीलवाड़ा
फुलियाकला (भ.अ.)

प्रतिलिपि—

1— तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
सहायक कलेक्टर
रूपेण डी.एल.सी.
जिला भीलवाड़ा
फुलियाकला (भ.अ.)